

जेल की भीड़भाड़ संबंधी समस्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) (Supreme Court) ने कोविड-19 महामारी की अनर्पित वृद्धि को देखते हुए पात्र कैदियों की अंतरिम रद्दी का आदेश दिया है।

- न्यायालय के इस आदेश का उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना और कैदियों के [जीवन](#) तथा [स्वास्थ्य के अधिकार](#) की रक्षा करना है।

प्रमुख बढि

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य बढि:

- न्यायालय ने [अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य](#) (Arnesh Kumar vs State of Bihar) 2014 मामले में नरिधारति मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
 - इस मामले के तहत न्यायालय ने पुलसि को अनावश्यक गरिफ्तारी नहीं करने के लिये कहा था, खासकर उन मामलों में जिनमें सात वर्ष से कम जेल की सजा होती है।
- देश के सभी जिलों के अधिकारी [आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता](#) (Code of Criminal Procedure- Cr.P.C) की धारा 436ए को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।
 - Cr.P.C की धारा 436A के तहत अपराध के लिये नरिधारति अधिकतम जेल अवधि का आधा समय पूरा करने वाले वचिराधीन कैदियों को व्यक्तगित गारंटी पर रद्दी कया जा सकता है।
- न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिये दोषियों को उनके घरों में नजरबंद रखने पर वचिर करने के लिये वधियिका को सुझाव दिया है।
 - वर्ष 2019 में जेलों में कैदियों के रहने की दर बढ़कर 118.5% हो गई थी। इसके अलावा जेलों के रखरखाव के लिये बजट की एक बहुत बड़ी राशिका उपयोग कया जाता है।
- सभी राज्यों को एक नश्चित अवधि के लिये जमानत या पैरोल पर रद्दी कया जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी का नरिधारण करने हेतु नविरक कदम उठाने के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त समतियों का गठन करने का आदेश दिया गया।

भारतीय जेलों की स्थिति:

- भारतीय जेलों को लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:
 - अतरिकित भीड़
 - स्टाफ और फंडिंग में कमी और
 - हसिक संघर्ष
- वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशति 'प्रजिन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' 2016 में भारत में कैदियों की दुरदशा पर प्रकाश डाला गया है।
 - **वचिराधीन जनसंख्या:** भारत की वचिराधीन कैदियों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में सभी वचिराधीन कैदियों में से आधे से अधिक को छह महीने से भी कम समय के लिये हरिसत में लया गया था।
 - रपिरट में बताया गया है कविवर्ष 2016 के अंत में 4,33,033 लोग जेल में थे, जिनमें से 68% वचिराधीन थे।
 - इससे पता चलता है कजेल की संपूर्ण आबादी में वचिराधीन कैदियों का उच्च अनुपात सुनवाई के दौरान अनावश्यक गरिफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम हो सकता है।
 - **नविरक हरिसत में रखे गए लोग:** जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक (या 'नविरक') नरिध कानूनों के तहत पकड़े गए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2015 के 90 की तुलना में वर्ष 2016 में 431 बंदियों के साथ 300% की वृद्धि हुई।
 - प्रशासनिक या 'नविरक', नरिध का उपयोग अधिकारियों द्वारा बनि कसि आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हरिसत में लेने और नियमति आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिये कया जाता है।
 - **C.R.P.C की धारा 436A के बारे में अनभजितता:** आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत रद्दी होने के योग्य और वास्तव में रद्दी कयि गए कैदियों की संख्या के बीच अंतर स्पष्ट कया गया है।

- वर्ष 2016 में धारा 436ए के तहत रहिआई के योग्य पाए गए 1,557 वचाराधीन कैदियों में से केवल 929 को ही रहि कथि गयल थल ।
- सलथ ही एमनेस्टी इंडियल के एक शोध में पलल गयल है कल जेल अधकलरल अकसर इस धरल से अनजलन होते हैं और इसे ललगू करने के इकछुक नही होते हैं ।
- **जेल में अपरलकृतकल मौतें:** जेलों में "अपरलकृतकल" मौतों कल संख्यल वर्ष 2015 और 2016 के बीच 115 से बढकर 231 हो गई है ।
- कैदियों के बीच आतमहत्यल कल दर में भी 28% कल वृद्धल हुई, यह संख्यल वर्ष 2015 के 77 आतमहत्यलओं से बढकर वर्ष 2016 में 102 हो गई ।
- रलषटरीय मलनवलधकलर आयोग (NHRC) ने वर्ष 2014 में कल थल कल औसतन एक बलहर के वकतकल तुलनल में जेल में आतमहत्यल करने कल संभवलनल डेढ गुनल अधकल होती है । यह भरतीय जेलों में मलनसकल स्वलसथ्य संबधी कतलओं कल भयलवहतल कल एक संभवलतल संकेतक है ।
- **मलनसकल स्वलसथ्य पेशेवरों कल कमी:** वर्ष 2016 में प्रत्येक 21,650 कैदियों पर केवल एक मलनसकल स्वलसथ्य पेशेवर मौजूद थल, वही केवल छह रलज्यों और एक केंद्रशलसतल प्रदेश में मनोवैज्जलनकल/मनोककलतलसकल मौजूद थे ।
- सलथ ही NCRB ने कल थल कल वर्ष 2016 में मलनसकल बीमलरल से ग्रसतल ललगभग 6,013 वकतकल जेल में थे ।
- जेल अधनलनलम, 1894 और कैदी अधनलनलम, 1900 के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कलल्यलण अधकलरल और एक कलनून अधकलरल होनल कलहयल लेकनल इन अधकलरलियों कल भरती अभी भी लंबतल है । यह पछलली शतलब्दी के दौरान जेलों को मलली रलज्य कल कम रलजनीतकल और बजटीय प्रलथमकलतल कल वलख्यल करतल है ।

जेल सुधलर संबधी सफलरशल

- सर्वोच्च न्यललललय दवलरल नथुकृत न्यलयमूरतल (सेवलनवृत्त) अमतलभ रॉय समतलने जेलों में सुधलर के लयल नमलनलखतल सफलरशल कल है ।
- **भीड-भलड संबधी**
 - **तीवर टरलयल:** समतल कल सफलरशल में भीडभलड कल अवलछतल घटनाओं को कम करने के लयल तीवर टरलयल को सर्वोत्तम तरीकों में से एक मलनल गयल है ।
 - **वकलल व कैदी अनुपलत:** प्रत्येक 30 कैदियों के लयल कम-से-कम एक वकलल होनल अनवलरय है, जबकल वलरतमलन में ऐसल नही है ।
 - **वशलष न्यलललय:** पलँच वर्ष से अधकल समय से लंबतल छोटे-मोटे अपरलधों से नपलटने के लयल वशलष फलसूट-ट्रैक न्यलललयों कल स्थलपनल कल जलनी कलहयल ।
 - इसके अलवल जलनल अभयुकृतों पर छोटे-मोटे अपरलधों कल आरोप ललगल गयल है और जलनलहें ज़मलनत दी गई है, लेकनल जो ज़मलनत कल वलवसूथल करने में असमरूथ हैं, उनहें वकतकलत पहकनल (PR) बॉण्ड पर रहल कथल जलनल कलहयल ।
 - **सूथगन से बकलव:** उन मलमलों में सूथगन नही दयल जलनल कलहयल, जहलँ गवलह मौजूद हैं और सलथ ही पली बलरगेनगल कल अवधलरणल, जसलमें आरोपी कम सज़ल के बदले अपरलध स्वीकलर करतल है, को बढवल दयल जलनल कलहयल ।
- **कैदियों के लयल**
 - **अनुकूल टरलंजीशन:** प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले सपूतलह के दौरान सहज महसूस करने के लयल परवलर के सदस्यों के सलथ दनल में एक मुफूत फोन कॉल कल अनुमतल दी जलनी कलहयल ।
 - **कलनूनी सलहलयतल:** कैदियों को प्रभलवी कलनूनी सलहलयतल प्रदलन करने और उनको वलवलसलयकल कौशल तथल शकलषल प्रदलन करने संबधी आवश्यक कदम उठलए जलने कलहयल ।
 - **सूकनल और संकलर प्रलदयलगकल कल प्रयलग:** परीकषण के लयल वीडयो-कॉन्फरेंसलंग कल उपयलग ।
 - **वैकलपकल सज़ल:** अपरलधियों को जेल भेजने के बजलय न्यलललयों को अपनी 'वलवलकलधीन शकतलतल' कल उपयलग करने और यदल संभव हो तो 'जुरमलनल और केतलवनी' जैसे दंड देने के लयल प्रेरतल कथल जल जल सकतल है ।
 - इसके अलवल न्यलललयों को पूर्व-परीकषण करण में यल योग्य मलमलों में परीकषण करण के बलद भी प्रलबेशन पर अपरलधियों को रहल करने के लयल प्रलतसलहतल कथल जल सकतल है ।
- **रकतलतल को भरनल**
 - सर्वोच्च न्यलललय को नरलदेश पलरतल करते हुए अधकलरलियों को तीन मलह के भीतर स्थलयी रकतलतल भरने संबधी भरती प्रकूरयल शुरु करने के लयल कहनल कलहयल और प्रकूरयल एक वर्ष में पूरी कल जलनी कलहयल ।
- **भोजन संबधी**
 - आवश्यक वसतुओं को खरीदने, अधूनकल वधल से खलनल पकलने कल सुवधल और कैटीन आदल कल वलवसूथल कल जलनी कलहयल ।
- वर्ष 2017 में भरतीय वधल आयोग ने सफलरशल कल थी कल सलत वर्ष तक कल कैद वलले अपरलधों के लयल अपनी अधकलतम सज़ल कल एक-तहलई समय पूरल करने वलले वकलरलधीन कैदियों को ज़मलनत पर रहल कथल जलए ।

संवधलनकल प्रलवधलन

- **रलज्य सूची कल वषलय:** 'कलरलगलर/इसमें रखल गयल वकतकल भरत के संवधलन कल सलतवी अनुसूची कल सूची II कल प्रवषलटल 4 के तहत रलज्य सूची कल वषलय है ।
 - जेलों कल प्रशलसन और प्रबंधन संबधतल रलज्य सरकलरों कल ज़मलमेदलरी होती है ।
 - हललकल गृह मंत्रललय जेलों और कैदियों से संबधतल वधलनलनल मुददों पर रलज्यों और केंद्र शलसतल प्रदेशों को नयलमतल मलरगदरशन तथल सललह देतल है ।
- **अनुच्छेद 39A:** संवधलन कल अनुच्छेद 39A रलज्य के नीतल नरलदेशक सदलधलतों कल हसलसल है, जसलके अनुसार कसल भी नलगरकल को आरूथकल यल अनूथ अकषमतलओं के कलरण न्यलय पलने से वंचतल नही कथल जलनल कलहयल और रलज्य मुफूत कलनूनी सलहलयतल प्रदलन करने कल वलवसूथल करेगल ।
 - मुफूत कलनूनी सलहलयतल यल मुफूत कलनूनी सेवल कल अधकलर संवधलन दवलरल गलरटीकृत एक आवश्यक मौलकल अधकलर है ।
 - यह भरत के संवधलन के अनुच्छेद 21 के तहत उकतल, नषलपकष और न्यलयपूरण स्वतंत्रतल कल आधलर बनलतल है, जसलमें कलह गयल है कल

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।

प्रमुख शब्दावलि

- **वचाराधीन कैदी:** इसके अंतर्गत उन कैदियों को रखा जाता है जिनमें अभी तक उन पर लगाए गए अपराधों के लिये दोषी नहीं पाया गया है।
- **नविरक नरीध:** इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हरिसत में लिया जाता है।
 - संवधान का **अनुच्छेद 22 (3) (बी)** राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नविरक नरीध तथा प्रतबिध लगाने की अनुमत देता है।
 - इसके अलावा **अनुच्छेद 22 (4)** में कहा गया है कि नविरक नरीध के तहत हरिसत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हरिसत में रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा,
 - एक सलाहकार बोर्ड द्वारा वसितारति नरीध हेतु पर्याप्त कारणों के साथ रपिर्ट प्रस्तुत की जाती है।
 - ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हरिसत में लिया जा सकता है।
- **व्यक्तिगत पहचान बॉण्ड:** इसे स्वयं के पहचान (Own Recognizance) बॉण्ड के रूप में जाना जाता है और कभी-कभी इसे "नो कॉस्ट बेल" (No Cost Bail) भी कहा जाता है। इस प्रकार के बॉण्ड के साथ एक व्यक्ति को हरिसत से रहि कर दिया जाता है तथा उसे जमानत लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - हालाँकि वह नरिदषिट अदालत की तारीख को दखिाने के लिये ज़मिमेदार है और उसे इस वादे को लखिति रूप में बताते हुए एक रलिज़ फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा।
 - फरि व्यक्ति को अदालत में पेश होने और अदालत द्वारा नरिधारति रहिई की किसी भी शर्त का पालन करने के उनके वादे के आधार पर हरिसत से रहि कर दिया जाता है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/overcrowding-of-prison>

